**दिनांक–23.04.2018 को सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में ऑनलाईन भू–लगान के संबंध में उत्पन्न हो रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु आहूत बैठक की कार्यवाही :–** 1746/रा 672/5 – 24-04-18

---

**उपस्थिति :–**

1. श्री कमल किशोर सोन, सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
2. श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय, सलाहकार, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
3. श्री उदय प्रताप, संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
4. श्री राम कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
5. श्री प्रताप चन्द्र किचिंगिया, संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
6. श्री नवीन किशोर सुवर्णा, उप निदेशक, भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय।
7. श्री लोकेश कुमार, तकनीकी निदेशक, NIC
8. SPMU के पदाधिकारी, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

**समीक्षोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–**

1. विभागीय पत्रांक–2861 (5), दिनांक–08.06.2017 द्वारा दिनांक–01.01.1946 के पूर्व निबंधित (विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा) के आधार पर पंजी–II में संधारित गैरमजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों में ऑनलाईन म्यूटेशन एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने में आ रही समस्याओं के निराकरण करने एवं विभागीय पत्रांक–5239 (5), दिनांक–30.10.2017 द्वारा रैयती भूमि से संबंधित जमाबंदियों में ऑनलाईन म्यूटेशन एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने में आ रही समस्याओं के निराकरण के संदर्भ में दिये गये निदेशों के अनुपालन की निरंतर समीक्षा की जाय तथा अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। यदि अनुपालन में कोई तकनीकी कठिनाई आती है तो NIC अविलंब उसका निराकरण सुनिश्चित करायेगा।

   **(अनु0–विभागीय सलाहकार/निदेशक, भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी अपर समाहर्त्ता, झारखण्ड/प्रभारी संयुक्त सचिव/SIO, NIC)**

2. ऑनलाईन खतियान/पंजी–II में यदि भूलवश 'सिकमी' दर्ज है एवं मूल खतियान में वास्तव में रैयती/कायमी दर्ज है तो वैसे मामलों में उपायुक्त की स्पष्ट अनुशंसा के आलोक में ऑनलाईन खतियान/पंजी–II में अपेक्षित सुधार कराया जाय। NIC इस निमित्त सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करेगा तथा यह भी प्रावधान करेगा कि जो भी

23/4/18



mail sent uploaded 24.4.18

संशोधन किया जायेगा वह किस पदाधिकारी के द्वारा एवं किस अवधि में किया गया है, की सूचना आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाईन डाउनलोड किया जा सके।

**(अनु0– निदेशक, भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी अपर समाहर्त्ता, झारखण्ड/SIO, NIC)**

3. जिन जिलों में मुंडारी, खूँटकट्टीदारों से संबंधित Tenure का ऑनलाईन में खेवट संख्या दर्ज नहीं हुआ है एवं उस कारण ऑनलाईन लगान भुगतान नहीं हो पा रहा है, वैसे मामलों में खतियान/पंजी–II में खेवट संख्या दर्ज कर ऑनलाईन लगान भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इस संदर्भ में उपायुक्त की अनुशंसा के आलोक में ऑनलाईन प्रवृष्टि की जाय। इस निमित्त NIC सॉफ्टवेयर में अपेक्षित संशोधन शीघ्र सुनिश्चित करें तथा यह भी प्रावधान करेगा कि जो भी संशोधन किया जायेगा वह किस पदाधिकारी के द्वारा एवं किस अवधि में किया गया है, की सूचना आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाईन डाउनलोड किया जा सके।

**(अनु0– निदेशक, भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी अपर समाहर्त्ता, झारखण्ड/SIO, NIC)**

4. राँची जिला के Municipal Survey के अनुसार की गई ऑनलाईन प्रविष्टि के अनुरूप दिनांक–02.05.18 से ऑनलाईन लगान भुगतान की व्यवस्था प्रारंभ किया जाय। अन्य जिलों के शहरी क्षेत्रों में भी यदि इस प्रकार की आवश्यकता हो तो राँची की तरह व्यवस्था की जाय ताकि ऑनलाईन लगान भुगतान में कोई कठिनाई रैयतों को नहीं हो।

**(अनु0– निदेशक, भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप/उपायुक्त, राँची/SIO, NIC)**

5. खतियान/पंजी–II में ऑनलाईन प्रविष्टि के समय QC I एवं QC II कराने के बावजूद कई गलत प्रविष्टियों की सूचना लगभग प्रत्येक जिला से प्राप्त हो रहा है। उपायुक्त अपने स्तर पर खतियान/पंजी–II में उक्त गलत प्रविष्टियों का सत्यापन कराकर एवं संतुष्ट होकर ऑनलाईन त्रुटि निराकरण की व्यवस्था करेंगे। जिन राजस्व ग्रामों का यदि ऑनलाईन प्रविष्टि हुआ ही नहीं है तो वैसे ग्रामों का एक माह के अंदर प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। इस निमित्त NIC एक माह में सॉफ्टवेयर में अपेक्षित सुधार करेगा तथा यह भी प्रावधान करेगा कि ऑनलाईन प्रविष्टि किस पदाधिकारी के द्वारा एवं किस अवधि में किया जा रहा है, की सूचना आवश्यकतानुसर ऑनलाईन डाउनलोड किया जा सके

ताकि गलत पाये जाने पर उक्त पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्रवाई की जा सके।

**(अनु0– निदेशक, भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी अपर समाहर्त्ता, झारखण्ड/SIO, NIC)**

6. ऐसी भी सूचना मिल रही है कि जिलों से अथवा निदेशालय से त्रुटि निराकरण हेतु जो भी मामले NIC को भेजे गये हैं उनके निराकरण में NIC द्वारा अत्यधिक विलंब किया जा रहा है। जिस कारण लोगों को काफी कठिनाई हो रही है एवं सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भविष्य में NIC त्वरित गति से त्रुटियों का निराकरण सुनिश्चित करें।

**(अनु0– निदेशक, भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी अपर समाहर्त्ता, झारखण्ड/SIO, NIC)**

24/4/18

(कमल किशोर सोन)
सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक– 12/त्रु.नि.06/2017 – 1746/रा दिनांक– 24-04-18

प्रतिलिपि :– विभागीय सलाहकार/निदेशक/सभी उपायुक्त/विभागीय संयुक्त सचिव/सभी अपर समाहर्त्ता/SIO, NIC को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

24/4/18

सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

dir/land records/proceedings/23.04.18 (lalit)